"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. ी. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2009— कार्तिक 8, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं एस. शंकर पिता स्व. एस. कैलाशम, उम्र करीबन 55 वर्ष, निवासी-एच. आई. जी.-62/ ए./5, नेहरू नगर (वेस्ट) भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर एस. कुमार स्वामी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे एस. कुमार स्वामी पिता स्व. एस. कैलाशम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
एस. शंकर	एस. कुमार स्वामी
पिता स्व. एस. कैलाशम	पिता स्व. एस. कैलाशम
निवासी-एच. आई. जी.-62/ए./5	निवासी-एच. आई. जी.-62/ए./5
नेहरू नगर (वेस्ट) भिलाई	नेहरू नगर (वेस्ट) भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भारत लाल आत्मज श्री बिसाल , उम्र करीबन 42 वर्ष, निवासी-ग्राम कोसा, पो.-आ.-मचान्दुर तह.-गुण्डरदेही, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि ऋए-पुस्तिका में त्रुटिवश मेरा नाम डोरीलाल आत्मज बिसाल अंकित हो गया है जो कि गलत है, जिसे सुधारने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भारत लाल आत्मंज श्री बिसाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
डोरीलाल आत्मज श्री बिसाल निवासी-ग्राम - कोसा पो.-आ.-मचान्दुर तहसील-गुण्डरदेही जिला-दुर्ग (छ. ग.)	भारत लाल आत्मज श्री बिसाल निवासी-ग्राम - कोसा पो.-आ.-मचान्दुर तहसील-गुण्डरदेही जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संतोष सिंह आ. श्री हेमन्त सिंह वर्मा, उम्र 34 वर्ष, निवासी-स्टेशन मड़ौदा, शंकरपारा भिलाई,तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम संतोष सिंह आ. श्री हेमन्त सिंह वर्मा दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जिसे सुधारने हेतु प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संतोष सिंह आ. श्री हेमन सिंह वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
संतोष सिंह आत्मज श्री हेमन्त सिंह वर्मा स्टेशन मड़ौदा, शंकरपारा भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	संतोष सिंह आत्मज श्री हेमन सिंह वर्मा स्टेशन मड़ौदा, शंकरपारा भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उप नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अरूण कुमार आत्मज श्री कुलेश्वर प्रसाद वर्मा, उम्र 51 साल, निवासी के पाकेट क्वा. नं. 18/ए, मड़ौदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के सामने उपनाम वर्मा को जोड़ कर अपना नाम अरूण कुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अरूण कुमार वर्मा आमतज श्री कुलेश्वर प्रसाद वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अरूण कुमार आत्मज श्री कुलेश्वर प्रसाद वर्मा निवासी के पाकेट, क्वा. नं. 18/ए मडौदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अरूण कुमार वर्मा आत्मज श्री कुलेश्वर प्रसाद वर्मा निवासी के पाकेट, क्वा. नं. 18/ए मडौदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/1682.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/883/बिलासपुर, दिनांक 11-07-06 के तहत खनिज सहकारी समिति मर्यादित, अमलडीहा, पंजीयन क्रमांक 3798 दिनांक 01-10-1996, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-8-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2009

क्रमांक/परिसमापन/2009/1740.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परि./634, बिलासपुर, दिनांक 18-03-2008 के द्वारा गंगा सागर मछुआ सहकारी समिति मर्या., लखराम, विकास खण्ड-बिल्हा, पं. क्र. 3561 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के अध्यक्ष श्री कमलेश केंवट द्वारा संस्था के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था को ग्राम पंचायत लखराम से 5 वर्षीय पट्टे पर तालाब दिया गया है जिसकी अंतिम तिथि 2011 तक है. संस्था मत्स्य पालन व्यवसाय का कार्य कर रही है. अत: प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त संस्था वर्तमान में नियमित कार्यशील है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, अध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से पूर्ण सहमत होते हुए गंगा सागर मछुआ सहकारी समिति मर्या., लखराम का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुनर्जीवत करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 3-10-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक. (प्रशा.)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

छ .ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69 (3) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. ज. /परिस. /09/548.—कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर के पत्र क्रमांक/अंके./09/1 2 दिनांक 1-9-2009 द्वारा प्राप्त सूची अनुसार आपकी संस्था 31 मार्च 2009 की स्थिति में अकार्यशील है. अत: उपरोक्त वर्णित कारण से आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित करता हूं.

अतएव मैं, सुनील तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी समितियां (प्रशासन), जगदलपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ.-7-3/सह./15/2436 रायपुर दिनांक 13 जून 2001 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारण के आधार पर यह "कारण बताओ सूचना पत्र" जारी कर सूचना देता हूं, कि क्यों ना आपके संस्था के विरुद्ध छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम धारा 69(2) की कार्यवाही की जावे. इस संबंध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना है, तो इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दरमय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा यह माना जाकर की आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश प्रसारित कर दिया जावेगा.

यह "कारण बताओ सूचना पत्र" आज दिनांक 24-9-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अकार्यशील सहकारी समितियों की सूची (जगदलपुर)

क्रमांक (1)	नाम समिति (2)	पंजीयन क्र. व दिनांक (3)
1.	महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बोधघाट जगदलपुर	280/29-6-93
2.	---,,--- ---,,--- बालाजी वार्ड जगदलपुर	389/8-11-96
3.	जेल कल्याण कर्म. प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जगदलपुर	286/13-7-93
4.	कबीर बुनकर सहकारी समिति, मर्या., तोकापाल	7/5-2-79
5.	दण्डकारण्य मछुआ सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर	359/9-1-96
6.	आदि. मत्स्य सह. ---,,--- ---,,---उलनार	500/6-12-04
7.	आदि. मछुआ सह. ---,,--- ---,,---उमरगांव	62/28-3-88
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिरोला	236/7-6-90
9.	---,,--- ---,,--- ---,,--- बस्तर	60/7-2-86
10.	---,,--- ---,,--- ---,,--- गुनपुर	473/14-1-03
11.	---,,--- ---,,--- ---,,--- डोडरेपाल	449/5-12-01
12.	---,,--- ---,,--- ---,,--- भिरलिंगा	451/5-12-01
13.	---,,--- ---,,--- ---,,--- बोरपदर	453/5-12-01
14.	---,,--- ---,,--- ---,,--- परोगुड़ा	454/5-12-01
15.	---,,--- ---,,--- ---,,--- पोटानार	154/14-3-89
16.	---,,--- ---,,--- ---,,--- कुरंदी	84/30-3-88
17.	नवोदय दुग्ध ---,,--- ---,,--- धरमपुरा	160/19-2-90
18.	दुग्ध उत्पादक ---,,--- ---,,---कुलगांव	444/31-3-01

(1)	(2)	(3)
19.	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या., धनपूंजी	448/18-7-01
20.	---,,--- ---,,--- ---,,--- अघनपुर	455/5-12-01
21.	प्राथ. ---,,--- ---,,--- ---,,--- सरगीपाल	467/1-7-02
22.	दुग्ध उत्पादक "--,,--- ,,---,,--- तोकापाल	450/5-12-01
23.	---,,--- ---,,--- ---,,--- नारायणपुर	464/27-4-02
24.	महिला श्रमिक रत्न उद्योग सह. समिति मर्या., जगदलपुर	374/29-8-96
25.	महिला औद्योगिक ---,,--- ---,,--- नयामुण्डा जगदलपुर	371/8-8-96
26.	---,,--- ---,,--- ---,,--- महारानी वार्ड जगदलपुर	395/23-12-96
27.	---,,--- ---,,--- ---,,--- जवाहर नगर मेटगुड़ा	433/28-7-99
28.	---,,--- ---,,--- ---,,--- शांतिनगर जगदलपुर	438/8-5-2000
29.	रस्सी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,बकावण्ड	156/28-11-89
30.	बांस कला चटाई उद्योग सह. समिति मर्या., डामागुड़ा	441/29-7-2000
31.	आदि. हरि. खनिकर्म सह. ---,,--- सिरिसगुड़ा	368/3-4-96
32.	प्राथ. मजदूर रेत खदान ---,,--- खड़कघाट	394/13-12-96
33.	शिक्षा जागृति खनिज ---,,--- तेतरघुटी (छापरभानपुरी)	424/12-10-98
34.	प्राथ. गिट्टी खदान ---,,--- नवागुड़ा	436/12-1-2000
35.	प्राथ. रेत खनिज ---,,--- नगरनार	463/28-3-02
36.	प्राथ. ज्वालामुखी हितग्राही खनिज ---,,--- नगरनार (कोपागुड़ा)	468/14-8-02
37.	प्राथ. मुरूम खदान सह. ---,,--- नगरनार	469/19-8-02
38.	आदर्श गिट्टी रेत सह. ---,,--- बालेंगा	294/9-12-94
39.	प्राथ. रेत खदान सह. ---,,--- दुबेउमरगांव	403/3-4-97
40.	---,,--- ---,,--- ---,,---इच्छापुर	404/3-4-97
41.	प्राथ. गिट्टी खदान सह. ---,,--- भोण्ड	414/13-8-97

(1)	(2)	(3)
42.	प्राथ. रेत खदान सह. समिति मर्या., चपका	420/7-3-98
43.	प्राथ. खनिज सह.---,,--- कोण्डागांव	428/23-10-97
44.	---,,--- ---,,--- ---,,--- संबलपुर	429/23-10-97
45.	खनिकर्म आदि. श्रमिक सह. ---,,--- बुरुंगपाल	165/14-11-90
46.	आदि. खनिज श्रमिक सह.---,,--- मावलीभाटा	292/1-6-94
47.	आदि. खनिकर्म सह. ---,,--- छेपरापारा (डिलमिली)	166/14-11-90
48.	चूना पत्थर श्रमिक सह. ---,,--- रायकोट	411/30-7-97
49.	आदि. प्राथ. मुरूम रेत खदान सह. ---,,--- डेंगाआमा	459/6-3-02
50.	आदि. हरि. प्राथ. स्टोन क्रेशर सह. ---,,--- चित्रकूट	256/30-12-91
51.	प्राथ. आदि. खनिकर्म सह. ---,,--- टाकरागुड़ा	472/4-1-03
52.	आदि. रेत खदान ट्रक सह. ---,,--- कोरपाल	423/30-9-98
53.	फल एवं साग सब्जी उत्पादक एवं वितरक सह. ---,,--- भाटपाल	476/28-3-03
54.	प्राथ. पारम्परिक आदि. हस्त शिल्प सह. ---,,--- अलवाही	465/10-5-02
55.	किसान मजदूर विद्युत श्रमिक सह. ---,,--- छापरभानपुरी	425/2-12-98
56.	किसान मजदूर संघर्ष सह. ---,,--- छिंदगांव	398/13-1-97
57.	---,,--- ---,,--- ---,,--- पारापुर	401/26-2-97
58.	तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी साख सह. ---,,--- जगदलपुर	460/21-3-02
59.	ग्रामीण बेरोजगार सहकारी समिति मर्या.;परचनपाल	494/12-8-04
60.	आदि. ट्रक रफ्तार योजनान्तर्गत सह. समिति मर्या., पासंगी	313/16-7-92
61.	प्राथ. श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर	426/23-12-98
62.	---,,--- ---,,--- ---,,--- सरगीपाल	461/27-3-02
63.	---,,--- ---,,--- ---,,--- नगरनार	462/19-5-02

सुनील तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

क्रमांक/553/उपंरा/परि./2009.—मीरा परिवहन एवं बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित खैरागढ़, पंजीयन क्रमांक 337, विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./261 दिनांक 19-02-2008 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खैरागढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक श्री टी. आर. सहारे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खैरागढ़ द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत मीरा परिवहन बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, खैरागढ़, पंजीयन क्रमांक 337, विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

क्रमांक/554/उपंरा/परि./2009.—कारीपाठ बुनकर सहकारी समिति मर्यादित लाल बहादुर नगर, पंजीयन क्रमांक 392, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1563 दिनांक 21-08-2000 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत कारीपाठ बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, लाल बहादुर नगर, पंजीयन क्रमांक 392, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

क्रमांक/555/उपंरा/परि./2009.—छत्तीसगढ़ बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 26, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1898 दिनांक 27-11-1995 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखड डोंगरगढ़ द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ श्रमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 26, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

क्रमांक/556/उपंरा/परि./2009.—महावीर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिंगारपुर, पंजीयन क्रमांक 57, विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./729 दिनांक 8-09-2005 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खैरागढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक श्री एम. एल. देवांगन सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखड खैरागढ़ द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत महावीर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिंगारपुर, पंजीयन क्रमांक 57, विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.